

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 206 / 2022

उनवान

- 1- ख्यालीराम पिता उदा माली निवासी डाबला कचरा
- 2- मु0 चांदी पत्नी चोथु माली निवासी डाबला कचरा
- 3- बालु पुत्र उदा मानी निवासी डाबला कचरा
- 4- नारायण पिता भेरू माली निवासी डाबला कचरा
- 5-6 मु0 राधा, मैना पुत्री भेरू माली निवासी डाबला कचरा
- 7- मुकेश पिता शंकर माली निवासी डाबला कचरा
- 8- रामकुंवार पिता चोथु माली निवासी डाबला कचरा
- 9- सन्तु पिता खाना माली निवासी डाबला कचरा
- 10- हरिश चन्द्र पिता चोथु माली निवासी डाबला कचरा

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- मोहन पिता रामा माली निवासी डाबला कचरा तहसील शाहपुरा
- 2- गिरधारी पिता चमना माली निवासी ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा
- 3- घेवर पिता फालु रेबारी निवासी ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री अक्षयराज रेबारी

अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

--: निर्णय :-

दिनांक- 05.07.2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - प्रार्थीगण के ग्राम ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 121 रकबा 0.38 है0, 122 रकबा 0.26 है0, 123 रकबा 0.14 है0, 703/115 रकबा 0.03 है0, 706/116 रकबा 0.20 है0, 708/119 रकबा 0.05 है0 कुल किता 6 रकबा 1.06 हैक्टेयर के प्रार्थीगण काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगद्दी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी सं0 01 एवं अभिभाषक प्रार्थीगण उपस्थित एवं विपक्षीगण सं0 1, 2 स्वयं उपस्थित हो प्रार्थना पत्र बाबत सहमति से पत्थरगद्दी कराये जाने प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज दिनांक को सीगे से तलब किये जाने से पेश हुई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता एवं विपक्षी उपस्थित हो निवेदन किया कि दोनों पक्ष सहमति से अपनी अपनी आराजीयात की पत्थरगद्दी कराना चाहते हैं। संबंधित सरकारी कर्मचारी द्वारा जो पत्थरगद्दी की जायेगी जिससे दोनों पक्ष सहमत होंगे। अतः आज ही सहमति से पत्थरगद्दी किये जाने के आदेश प्रदान करावें। विपक्षी सं0 03 उपस्थित नहीं होने से अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी सं0 03 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने हेतु निवेदन किया अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। प्रकरण, अभिभाषक प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के प्रार्थना पत्र का तथा प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम ढाणी भवसागर संवत 2074 से 2077 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगद्दी कराना चाहते हैं एवं विपक्षीगण पत्थरगद्दी कराये जाने से सहमत है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा ढाणी भवसागर में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 6 रकबा 1.06 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगद्दी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगद्दी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगद्दी हेतु कमिश्नर फीस 500/- रूपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगद्दी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



(सुनिता यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलक्टर  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलक्टर  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा